

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -566 / 2013 / नागौर

मैसर्स गोपाल कृष्ण ऑयल इण्डस्ट्रीज, नागौर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,, नागौर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री कृष्ण गोपाल खत्री,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :12.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स), अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 101/2011-12/वैट/नागौर के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-नागौर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 09.01.2012 के जरिये रिवर्स किये गये टैक्स के संबंध में कायम की गयी मांग राशि ₹3,91,587/- व देय कर राशि कम जमा कराये जाने के कारण, आरोपित ब्याज ₹20,072/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2009-10 का निर्धारण आदेश दिनांक 09.01.2012 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत दस्तोवजों की जांच कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी तेल का विनिर्माणकर्ता है एवम् इस हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कच्चा माल "सरसों व बिनौला" राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय कर, वि-निर्मित तेल को राज्य व राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने इस संबंध में यह भी पाया कि विनिर्माण प्रक्रिया में "खल" कर मुक्त "छिलका" प्राप्त होता है। आलोच्य निर्धारण अवधि में खल कर मुक्त उत्पाद होने के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारीद्वारा क्रीत कच्चे माल यानि "खल" पर राज्य में क्रय के समय भुगतान किये गये सम्पूर्ण कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में बहीयात में दावा कर, विवरणियां प्रस्तुत की गयी हैं। अतः ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा खल कर मुक्त उत्पाद होने के कारण, क्लेम किये गये इन्पुट टैक्स क्रेडिट को अधिनियम की धारा

लगातार.....2

कर मुक्त माल खल का विक्रय किया गया है एवम् उक्त विक्रय के कर मुक्त होने के कारण, इस संबंध में क्लेम किये गये इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रत्यर्थी व्यवहारी को देय नहीं है । जैसाकि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधान है एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:—“.....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.” इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.


21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में भी माननीय राजस्थान

H

उच्च न्यायालय के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अनुसरण कर निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित किया गया है । इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के प्रोद्धारित निर्णयों में प्रतिपादित विधि से हस्तगत विवादित प्रकरण पूर्णतया आच्छादित है। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत विवादित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 व खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलिय अधिकारी द्वारा “रिवर्स-टैक्स” की कायम की गयी मांग राशियों की पुष्टि करना पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जहां तक निर्धारित ब्याज का प्रश्न है, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है । अतः आरोपित ब्याज विधिसम्मत एवम् उचित होने के कारण उक्त बिन्दु पर भी दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।
9. निर्णय सुनाया गया ।


12.7.2014
(मदन लाल)
सदस्य